कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड़, रायपुर (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दुरःभाषः ०७७१ – २५५२२३३

ई - मेल apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू-प्रबंध/विद्युत/ 479-135/780 प्रति.

रायपुर, दिनांक 22/03/2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

भारत सरकार - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय – वेस्ट सेन्ट्रल रीजन ईस्टर्न विंग – भू तल, न्यू सेक्रेटेरियेट भवन VCA के सामने, सिविल लाईन नागपुर - 440001

विषय:

- Diversion of 153.448 ha. forest land in favour of Power Grid Corporation of India Ltd. Raigarh for construction of 765 KV D/C (Hexa) Jharsuguda -Dharamjaygarh Transmission Line in the District of Raigarh in the State of Chhattisgarh.
- पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Trans/ 8080 / 2014

संदर्भ:

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक FC-III/CH-09/2016-NGP/ 919 दिनांक 03.10.2016
- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक / तक / 2492 दिनांक 31.12.2016 2.
- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक / तक / 770 दिनांक 09.03.2017

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र -- 1 द्वारा भारत सरकार (MoEF&CC), क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा 08 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

संदर्भित पत्र — 2 एवं 3 के माध्यम मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा बिन्दुवार जानकारी प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	निराकरण
1	Forest patch wise density of all patches involved in the proposal has not been provided in the proposal.	प्रस्तावित वन भूमि की वनमण्डलवार, कक्षवार धनत्व की जानकारी संलग्न है।
2	Examination of kml/shape files, it is revealed that out of 9 patches indentified for CA, 4 patches were observed to be unsuitable as 3 patches appears to have density more than 40% (1 in Dharamjaygarh (OA No. 1445), 2 in Korba (OA No. 1465 and 1443) while part of 1 patch in Raigarh	(अनुलग्नक—01) रायगढ़ वन मंडल कक्ष कमांक 964 पी में 16.00 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि के स्थान पर कक्ष क्रमांक 933 पी में 16.00 हेक्टेयर नई वैकल्पिक क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण हेतु नई भूमि प्रस्ताव तैयार कर DGPS रिपोर्ट (KML, Shape file) की CD संलग्न है।
	(964P) appears to be encroachment (agriculture). Further, as per the provision of the component of CA scheme, the State Government has incorporated the provision of protection for 10 years. However, the provisions further needs to be elaborated to confirm if the provision of protection incorporates watchmen and fencing also.	धरमजयगढ़ वन मंडल कक्ष कमांक ओ.ए 1445 एवं ओ.ए 1468 को वन मंडलाधिकारी, कोरबा वन मंडल द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर ओ.ए 1445 अधिक घनत्व के कारण एवं ओ. ए 1468 में अतिक्रमण/अनुपयुक्त पाये जाने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उक्त प्रस्तावित क्षेत्र को निरस्त किया गया है। उसके स्थान पर जांजगीर—चांपा वन मंडल में निम्नानुसार स्थान चयन किया गया है:—

	1		~	r		
i :		क	कक्ष क	वनमण्डल	परिक्षेत्र	प्रस्तावित
i			<u> </u>		का नाम	
i		11	RF80	जांजगीर–चांप	ा बलोदा	30.902
İ		2	RF80	जांजगीर–चांप	ा बलोदा	36.509
		योग				67.411
ļ		कोर	रा वन मंडर	त्र		
		्रक्षतिप	र्ति वृक्षारो	- पण के लिये	चयनित	स्थल कक्ष
		े कमा	ኮ UA-144	3 Va OA-1	465 ਨੀ ਤਾਓ	ोक पाउन्स
·		्रा क	गरण वन म	नडलाधिकारी.	कोरबा वन	ਮੌਫ਼ਕ ਨਾਗ
1		સ્થલ	।नराक्षण	केया जाकर	निरस्त किय	। कि गरम
*		उसव) स्थान प ^	र निम्नानुसा	र स्थान च	यन किया
		गया			 	
		क	कक्ष क	वनमण्डल	परिक्षेत्र का	प्रस्तावित
		1	DECO		नाम	रकबा हे
			RF62	जांजगीर—	बलोदा	40.409
		2	044407	चाम्पा		
		योग	OA1467	कोरबा	करतला	12.749
		41-1				53.158
		सक्त	गञ्जातिन व) 		
		वैकलि	त्र रसायस्य व विकास	क्षेत्र वृक्षारोपण ण प्रस्ताव तैय	हतु उपयुव	त्त है एव
		(KMI	olit arcd?	े की CD संत	ara ∌≀	'S रिपोर्ट
		(,	10 वर्षीय	उच्च तकनिव	ਭਾਜ ह। ਨੀ ਹੈਰ ਵਿਸ਼ਤ	~ A~
		वक्षारोप	ग्ण (सिंचित	त) योजना त	ा प्रकाल्पक वैभाग विकास	क्षातपूर्त
		जिसमें	बारबेड वा	यर फेसिंग ए	.1911 (प्राथा तंत्रधनसम्बद्धाः	गया ह
		1 666	या है। (अ	नुलग्नक-02)	न गुरका का	प्रावधान
3	Land identified for raising CA is free from	ं रायगद	, जांजगीर-	-चांपा एवं क	ोरबा तस मं	 ਟੋਕ ਟਾਗ
	encroachment has not been certified by the	: क्षतिपूर्ति	र्वे वृक्षारोपण	हितु उपयु	क्तता एवं ३	रिक्रमण
	DCFs concerned.	नहीं	होने का	्र प्रमाण	पत्र संलग्	न हैं।
4	Eveningting	(अनुलग	नक—03)			
	Examination of the proposal submitted	वन सं	रक्षण अधि	नियम् 1980	के तहत व	र्ग भिम
	online revealed that complete documents	व्यपवतः	न के प्रस्ता	व के संबंध र	में संशोधित	भाग—॥
	i.e. annexure referred in the part-II have not	। सलग्न	है (अनुलग्न	कि—04)		-^
	been uploaded. The same needs to be					
	uploaded. Revised Part-II may be submitted					
	without giving any references along with					
	the field inspection notes and reasons for recommending the projects.					
	CCF, Bilaspur has mentioned that RoW be	721				
	reduced from 10m to 3m, however, as per	Ine an	ea to be	felled under	r each con	ductor
5	guidelines RoW for 765 kV line is 10m,	can be	increased	to 10 m, w	ith a condi	tion to
	therefore, the State Government/CCF may	develor	grass la	nd equivale	ent to doub	ole the
•	convey its considered opinion on the matter	of tron	reiling wi	th in RoW o	or catchme	nt area
	that in case the RoW is not reduced, the	or trains	smission	line in orde	r to ensure	e food
	proposal stands recommending or not.	security	to wild li	ie.		
6	KML files pertaining to the CA have not	भारत -				
	been uploaded properly. As assessed on the	मारत स्	रकार, पर्या 	वरण, वन एव	। जलवायु प	ſ
	website of the MoEF &CC on 01.10.2016,	मत्रालय,	ণাহ ।ইল্লী আন সংস	ो के बेवसाइ	ट संबंधी :	समस्या
	only 5 kml files pertaining to the Raigarh	का समा किया गर	π β : αι π ΦΥ	समस्त अभित	लखा को उ	मपलोड
	Forest Division have been uploaded while	ואיאו אפ	11 01			
- 7 -Lettes P	ower 2017 (1) doe	-	 			
н	•					-

	uploading the same file, has been repeated in case of Korba and Dharamjaygarh Divisions. The correct kml files needs to be uploaded in respect of CA area identified in Korba and Dharamjaygarh Divisions. KML files for 30 patches of the forest land involved in the proposal have been submitted. However, single KML file for the entire stretches of the transmission line may be submitted for the ease of analysis of the forest area using decision support system.	सभी 30 वन कक्षों का एकल .kml फाईल तैयार कर CD संलग्न है। (अनुलग्नक05)
8	The total forest area mentioned in the certificates of the concerned District Collectors issued under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 is 166.007 ha while diversion is sought only for 153.448 ha. The discrepancy in the area may be justified by the State Government. Further, records of the consultations/meetings of the subdivisional level committee in Korba District have not been submitted along with the proposal.	प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र का कुल 153.448 हेक्टर = (जिला रायगढ़ का 126.869 हेक्टर (+) जिला कोरबा का 26.5789 हेक्टर) संशोधित वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र संलग्न है। अनुभाग स्तरीय समिति जिला कोरबा की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति संलग्न है। (अनुलग्नक—06)

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति जारी किये जाने का कष्ट

करें।

संलग्नः - उपरोक्तानुसार

र्वेद 3 कार बह 22/3 (मुदित कुमार सिंह) अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ) छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-135/781 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

रायपुर, दिनांक 22/03/2017

- 1. **प्रमुख सचिव**, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर। **संलग्न**:—उपरोक्तानुसार
- मुख्य वन सरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल, रायगढ़, छत्तीसगढ़।
- 4. **महा प्रबंधक**, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्राम एवं पोस्ट कोतरा, नन्देली मार्ग, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

वर्तमान में किसी भी प्रकार की वन भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ) ं/(छत्तीसगढ़